# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

**पंचायत निगरानी संख्याः 06 / 2024**

**प्रार्थी**

(1) पंखुदेवी पत्नी तुलसीरामजी, जाति–सुथार, निवासी–वलदरा, तह. व जिला– सिरोही
(2) अमृत पुत्र स्व. तुलसीरामजी, जाति–सुथार, निवासी–वलदरा, तह. व जिला–सिरोही
(3) हिना पुत्री तुलसीराम जी, जाति–सुथार, निवासी–वलदरा, तह. व जिला– सिरोही
(4) भावना पुत्री तुलसीराम जी, जाति–सुथार, निवासी–वलदरा, तह. व जिला– सिरोही
(5) गुडिया पुत्री तुलसीराम जी, जाति–सुथार, निवासी–वलदरा, तह. व जिला– सिरोही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

(1) ग्राम पंचायत, सरतरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सरतरा, तह. व जिला– सिरोही
(2) मिथुन पुत्र तुलसीराम जी, जाति–सुथार, निवासी–वलदरा, तह. व जिला–सिरोही

**"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"**

**उपस्थितिः**

(1) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से

**–ः निर्णय :–** **दिनांक 08 जुलाई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी मिथुन पुत्र तुलसीराम जी सुथार, निवासी– वलदरा के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 25.3.2021 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित ने बहस के दौरान प्रार्थीगण के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा दिनांक 02.10.2021 को अप्रार्थी संख्या–2 (मिथुन) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पट्टा संख्या 27 जारी किया गया है, जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–2 के पति/पिता तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार, निवासी– वलदरा की पुश्तैनी भूमि थी जिस पर तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार ने अपने जीवनकाल में पक्के मकान का निर्माण करवाया था एवं उक्त भूमि पर स्वर्गीय तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार द्वारा स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन भी लिया था जिसका विद्युत बिल आज भी तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार के नाम से ही जारी किया जा रहा है व उसका भुगतान भी प्रार्थीगण द्वारा ही किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–2 के पति/पिता तुलसीराम जी सुथार की दिनांक 20.8.2012 को मृत्यु हो चुकी है तथा स्वर्गीय तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार के विधिक वारिसान प्रार्थीगण पंखुदेवी, अमृत, हिना, भावना, गुडिया व अप्रार्थी मिथुन तथा पुत्री रिंकू है। तुलसीराम जी सुथार की मृत्यु के बाद तुलसीराम जी की सभी चल व अचल स[illegible] प्रार्थीगण व अप्रार्थी मिथुन व पुत्री

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:16:15 IST
Reason: SelfAttested

रिंकु का प्रत्येक का 1/7 हक हिस्सा है, परन्तु अप्रार्थी संख्या—2 द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे व स्वामित्व के उक्त मकान का पट्टा प्रार्थीगण की जानकारी व सहमति के बिना ही अपने स्वयं के नाम से प्रार्थी पंकुदेवी से मिलीभगत कर जारी करवा दिया है, जो विधि सम्मत नही है। यह कि तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार की मृत्यु के बाद उक्त आवासीय सम्पति उनके सभी विधिक वारिसान की शामलाती सम्पति है जिसका विभाजन नही हुआ है। यह कि ग्राम पंचायत, सरतरा ने अप्रार्थी संख्या—2 के पक्ष में जिस आवासीय सम्पति का पट्टा जारी किया है वह सम्पति स्वर्गीय तुलसीराम जी सुथार के सभी विधिक वारिसान की संयुक्त सम्पति है जिसके प्रत्येक भू भाग व ईंच पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी मिथनु तथा पुत्री रिंकु का समान हक हिस्सा व अधिकार है, इसलिये ग्राम पंचायत, सरतरा को उक्त सम्पूर्ण आवासीय भूमि का पट्टा अकेले अप्रार्थी संख्या—2 के नाम से जारी करने का कोई अधिकार नही था, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, सरतरा ने अपने वैध प्राधिकार से बाहर जाकर प्रार्थीगण को उनके हक अधिकार व हिस्से की पुश्तैनी आबादी भूमि व मकान से वंचित करने के लिये अप्रार्थी मिथुन के नाम से पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया है तथा इस नियम के अर्न्तगत पुराने गृहों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में, अप्रार्थी मिथुन मात्र 20 वर्षीय व्यक्ति होने से अप्रार्थी मिथुन द्वारा स्वयं अकेले ही पट्टेशुदा भूमि को धारण कर उस पर मकान निर्मित करना किसी भी प्रकार से संभव नही है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही व प्रार्थीगण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या—2 द्वारा अवैध तरीके से प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि को हडप करने के लिये प्रार्थी पंखुदेवी के नाम से पट्टा बनाने का बहाना बनाकर प्रार्थी पंकुदेवी के हस्ताक्षर करवाये व प्रार्थी पंकुदेवी को विश्वास दिलाने के लिये उसी दिन मात्र 1350 वर्गफीट का एक अन्य पट्टा संख्या 30 बनाया है, जबकि प्रार्थी द्वारा कभी भी उक्त पट्टा बनाने के लिये कोई आवेदन नही किया, लेकिन अप्रार्थीगण ने मिलीभगत कर उक्त पट्टा जारी करने के लिये प्रार्थी पंकुदेवी के नाम केवल 1350 वर्गफीट का पट्टा जारी किया और अप्रार्थी मिथुन के नाम 2700 वर्गफीट का पट्टा जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या—2 ने अपने माता के विश्वास का गलत फायदा उठाकर साक्ष्य के रुप में इस पट्टे का पंजीयन करते समय बतौर गवाह उस पर प्रार्थी पंकुदेवी का अंगूठा निशान करवाया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या—2 ने कभी भी प्रार्थीगण का उक्त पट्टा जारी होने की कोई सूचना नही दी। यह कि उक्त सम्पति में अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में केवल 1/7 हिस्सा अर्थात् 385 वर्गफीट भूमि ही आती है परन्तु उक्त सम्पूर्ण सम्पति अविभाजित होने से अप्रार्थी के हक अधिकार की भूमि की निश्चित चतुर्दशी दर्शित किया जाना संभव नही है। इस प्रकार, तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार, निवासी— वलदरा के अन्य विधिक वारिसान के हक हिस्से का पट्टा भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या—2 के पक्ष में जारी कर दिया है, जो कानूनन गलत है। अतः प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या— 2 (मिथुन) के पक्ष में ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 25.3.2021 व इस प्रस्ताव के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी मिथनु पुत्र तुलसीराम जी सुथार, निवासी— वलदरा के [illegible] ग्राम पंचायत, सरतरा के संकल्प

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:16:15 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3 दिनांक 25.3.2021 के अनुसरण में पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा दिनांक 02.10.2021 को अप्रार्थी संख्या–2 (मिथुन) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत पट्टा संख्या 27 जारी किया गया है, जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–2 के पति/पिता तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार, निवासी– वलदरा की पुश्तैनी भूमि थी जिस पर तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार ने अपने जीवनकाल में पक्के मकान का निर्माण करवाया था एवं उक्त भूमि पर स्वर्गीय तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार द्वारा स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन भी लिया था जिसका विद्युत बिल आज भी तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार के नाम से ही जारी किया जा रहा है व उसका भुगतान भी प्रार्थीगण द्वारा ही किया जा रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–2 के पति/पिता तुलसीराम जी सुथार की दिनांक 20.8.2012 को मुत्यु हो चुकी है तथा स्वर्गीय तुलसीराम जी पुत्र सवा जी सुथार के विधिक वारिसान प्रार्थीगण पंखुदेवी, अमृत, हिना, भावना, गुडिया व अप्रार्थी मिथुन तथा पुत्री रिंकु है। तुलसीराम जी सुथार की मृत्यु के बाद तुलसीराम जी की सभी चल व अचल सम्पति में प्रार्थीगण व अप्रार्थी मिथुन व पुत्री रिंकु का प्रत्येक का 1/7 हक हिस्सा है, परन्तु अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे व स्वामित्व के उक्त मकान का पट्टा प्रार्थीगण की जानकारी व सहमति के बिना ही अपने स्वयं के नाम से प्रार्थी पंकुदेवी से मिलीभगत कर जारी करवा दिया है, जो विधि सम्मत नही है।"

प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में विद्युत बिल की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से यह पाया कि उक्त पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 की भूमि पर स्थित आवासीय मकान में तुलसीराम जी पुत्र सवाजी सुथार, निवासी– वलदरा के नाम से विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। इस प्रकार, प्रार्थीगण के कथनों एवं उक्त विद्युत बिल से यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 से संबंधित मकान/सम्पति अप्रार्थी मिथनु पुत्र तुलसीराम जी सुथार के अकेले के स्वामित्व की नही होकर स्वर्गीय तुलसीराम पुत्र सवाजी सुथार, निवासी– वलदरा के सभी विधिक वारिसान उनकी पत्नि, पुत्र व पुत्रियों के संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी सम्पति है, जिसमें स्वर्गीय तुलसीराम जी पुत्र सवाजी सुथार, निवासी– वलदरा के सभी विधिक वारिसान का बराबर–बराबर हक हिस्सा है तथा संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी भूमि का ग्राम पंचायत, सरतरा को अप्रार्थी संख्या–2 (मिथुन पुत्र तुलसीराम जी सुथार) अकेले के पक्ष में पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नही है।

## आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन, प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी मिथुन पुत्र तुलसीराम जी सुथार, निवासी– वलदरा के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 25.3.2021 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 02.10.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, सरतरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड़ के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08 जुलाई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.04.01 12:16:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)